

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक: 18.06.2026

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10914/श्री आनन्द किशोर, भा.प्र.से.(1996), अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10915/श्री रॉबर्ट एल0 चोंग्थू, भा.प्र.से.(1997), प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10916/मो0 सोहैल, भा.प्र.से.(2007), सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. साथ ही, मो0 सोहैल अगले आदेश तक सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10917/श्री त्यागराजन एस.एम, भा.प्र.से.(2011), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री त्यागराजन अगले आदेश तक विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10918/श्री नवीन कुमार, भा.प्र.से.(2011), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक विशेष सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री कुमार प्रभारी सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग/प्रभारी सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग और प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट बिबरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

3. आलोच्य व्यवस्था के आलोक में श्री अजय यादव, भा.प्र.से. (2005), सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग और प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना और श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा.प्र.से. (2010), सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10919/श्री कुन्दन कुमार, भा.प्र.से. (2012) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, नालन्दा (बिहार शरीफ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पटना के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10920/श्री सुब्रत कुमार सेन, भा.प्र.से.(2013), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. आलोच्य व्यवस्था के आलोक में श्री अमित कुमार पाण्डेय, भा.प्र.से. (2014), प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10921/श्री धर्मेन्द्र कुमार, भा.प्र.से.(2013), निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. आलोच्य व्यवस्था के आलोक में श्री चन्द्रशेखर सिंह, भा.प्र.से. (2010), अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10922/श्रीमती छिरिड. वाई. भूटिया, भा.प्र.से. (2013), विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10923/श्रीमती उदिता सिंह, भा.प्र.से. (2014) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, नालन्दा (बिहार शरीफ) के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10924/श्री सौरभ जोरवाल, भा.प्र.से.(2014), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. आलोच्य व्यवस्था के आलोक में श्री राहुल कुमार, भा.प्र.से. (2011), प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएंगे।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10925/श्री अंशुल अग्रवाल, भा.प्र.से.(2016), निबंधन महानिरीक्षक-सह-उत्पाद आयुक्त, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, बांका के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10926/श्रीमती अलंकृता पाण्डेय, भा.प्र.से. (2016) समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, जहानाबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10927/श्री कुमार गौरव, भा.प्र.से. (2017) अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10928/श्री समीर सौरभ, भा.प्र.से. (2019), प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10929/श्री सौरभ सुमन यादव, भा.प्र.से. (2019), निदेशक, कृषि, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

2. आलोच्य स्थानांतरण के आलोक में श्री मुकेश कुमार लाल (आई.ए.ए.एस.), विशेष सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक निदेशक, कृषि, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10930/डॉ० प्रीति, भा.प्र.से. (2019), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जहानाबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. डॉ० प्रीति अगले तक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी।


संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10931/श्री नवीन कुमार, भा.प्र.से. (2019), परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10932/श्री विक्रम विरकर, भा.प्र.से. (2019), निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10933/श्री दीपक कुमार मिश्रा, भा.प्र.से. (2019), संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- अपर निदेशक, मिशन निदेशक का कार्यालय, बिहार विकास मिशन, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के पद पर पदस्थापित करते हुए उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (एक्ट-46, 2023) की धारा-14 के अधीन संबंधित जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।

संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10934/सुश्री चन्द्रिमा अत्री, भा.प्र.से. (2020), विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
18/06/2026  
(सिद्धेश्वर चौधरी)


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/पी0-1001/2026-सा.प्र.-10934/पटना-15,दिनांक: 18.06.2026

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,भारत सरकार, कर्तव्य भवन-03, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-03, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार लोक भवन, पटना /स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/संबंधित विभाग/संबंधित कार्यालय/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना /मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं 06, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. भा.प्र.से.(वेतन) नियमावली,2016 के नियम-12(1) के तहत, श्री त्यागराजन एस.एम. (2011), श्री सुब्रत कुमार सेन (2013), श्री धर्मेन्द्र कुमार (2013) के पदस्थापन सम्बद्ध पद को विशेष सचिव स्तर तथा श्री सौरभ जोरवाल (2014) से सम्बद्ध पद को अपर सचिव स्तर के समकक्ष घोषित किया जाता है।

3. संदर्भित स्थानान्तरण/पदस्थापन से आच्छादित वैसे पदाधिकारी जिनका अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं हुआ है, वे सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देकर पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत रहेंगे।

  
18/6/2026  
सरकार के अवर सचिव।

$\frac{6}{6}$